

**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,  
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।**

पत्रांक:- 1156

दिनांक:- 27/12/16

सेवा में,

प्रधान सचिव,  
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,  
झारखण्ड सरकार, राँची।

**विषय :-** सरायकेला वन प्रमंडल अन्तर्गत सर्वश्री झारखण्ड उर्जा निगम लि० द्वारा रामचन्द्रपुर से चाईबासा तक 220 के०वी० डी०सी० ट्रान्समिशन लाईन निर्माण हेतु अधिसूचित वनभूमि 4.052 हे० एवं जंगल-झाड़ी 0.64 हे० कुल 4.672 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

**प्रसंग :-** वन विभागीय पत्रांक 4267 दिनांक 21.09.2016  
महाशय,

प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना हेतु कुल 4.672 हे० वनभूमि अपयोजन के लिए दी गई सैद्धांतिक सहमति में लगाई गई 16 शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम रीजन, जमशेदपुर के पत्रांक 2739 दिनांक 16.12.2016 द्वारा प्राप्त है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम रीजन, जमशेदपुर के प्रतिवेदनानुसार विभाग द्वारा प्रदत्त स्टेज-I में लगाई गई शर्तों का अनुपालन बिन्दुवार निम्नवत् है :-

| क्र०सं० | शर्तें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | अनुपालन की स्थिति                                                                                                                                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i       | वनभूमि की वैधानिक स्थिति रहेगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत रखने हेतु वनचबद्धता समर्पित किया गया है, अनु०-A                                                                                         |
| ii      | प्रयोक्ता अभिकरण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल याचिका संख्या-WP (C) 202/1995 में दिनांक 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 को पारित आदेश तथा भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के अनुरूप अपयोजित होने वाली 4.672 हे० वनभूमि के एन०पी०भी० की राशि वसूलनीय होगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०भी० की राशि NET Funds Transfer के कैम्पा लेखा संख्या- 344902010105420 Union Bank of India, Sunder Nagar, New Delhi में रू० 2924472.00 हस्तान्तरण कर दिया गया है (रसीद संलग्न), अनु०-01 |
| iii     | यदि एन०पी०वी० के दर में कोई संशोधन होता है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई/अन्तर राशि जमा करना बाध्यकारी होगा।                                                                                                                                                                                                                       | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए वनचबद्धता समर्पित किया गया है, अनु०-B                                                                                                                                  |
| iv      | प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त राशि को कैम्पा खाता में जमा करना होगा।                                                                                                                                                                                                                                                                       | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NEFT Fund Transfer द्वारा कैम्पा लेखा में मांग की गई राशि सीधे हस्तान्तरण कर दिया गया है।                                                                                                    |

140

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v    | प्रस्तावित अपयोजन में आवश्यकता पड़ने पर ही वृक्षों का पातन किया जायेगा तथा वृक्षों का पातन वन विभाग की देख रेख में किया जायेगा।                                                                                                                                                                                          | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए वनचबद्धता समर्पित किया गया है, अनु0-C                                                                                                                                                          |
| vi   | ट्रांसमिशन लाईन हेतु sag की ऊँचाई 7 मी० रखनी होगी, ताकि वन्यप्राणियों विशेष कर हाथियों को बिजली स्पर्शाघात की घटनाओं से बचाया जा सके।                                                                                                                                                                                    | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए वनचबद्धता समर्पित किया गया है, अनु0-D                                                                                                                                                          |
| vii  | भविष्य में यदि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा कोई शर्त लगाई जाती है तो उन शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।                                                                                                                                                                                           | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए वनचबद्धता समर्पित किया गया है, अनु0-E                                                                                                                                                          |
| viii | ट्रांसमिशन लाईन के Right of way की चौड़ाई 35 मी० में सुनिश्चित किया जाय।                                                                                                                                                                                                                                                 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए वनचबद्धता समर्पित किया गया है, अनु0-F                                                                                                                                                          |
| ix   | विद्युतवाही तार एवं वृक्षों के बीच कम से कम 4.6 मी० का Clearance रखना प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा, जिसमें तारों के sag एवं swing का भी ध्यान रखना होगा।                                                                                                                                                      | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए वनचबद्धता समर्पित किया गया है, अनु0-G                                                                                                                                                          |
| x    | ट्रांसमिशन लाईन खिंचने के बाद उपलब्ध भूमि जिसमें वृक्षारोपण किया जा सकता है का आंकलन करने के बाद इस भूमि पर छोटे औषधीय पौधों को लगाने के लिए आवश्यक राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।                                                                                                                          | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा औषधीय पौधों का वृक्षारोपण हेतु राशि 1397227.00 रु० कैम्पा लेखा संख्या- 344902010105420 Union Bank of India, Sunder Nagar, New Delhi में NEFT Funds, Transfer द्वारा हस्तान्तरण कर दिया गया है (रसीद संलग्न), अनु0-01 |
| xi   | वनभूमि पर किसी प्रकार का labour camp नहीं स्थापित किया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                           | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनभूमि में किसी प्रकार का Labour Camp नहीं स्थापित करने संबंधी वनचबद्धता समर्पित किया गया है, अनु0-H                                                                                                                 |
| xii  | यदि गैर वनभूमि पर labour camp स्थापित किया जाता है तो परियोजना के कार्यरत मजदूरों को ईंधन परियोजना खर्च पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा एवं तदनुसार एवं वितरण पंजी रखी जायेगी, जिसकी समय समय पर वन विभाग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जाँच की जायेगी, ताकि आस-पास के वनों को क्षति से बचाया जा सके। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए वनचबद्धता समर्पित किया गया है, अनु0-I                                                                                                                                                          |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| xiii | परियोजना में कार्यरत मजदूरों/ठेकेदारों द्वारा परियोजना स्थल के आस पास के वन एवं वन्य प्राणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी एवं यह प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।                                                                                                                                      | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना में कार्यरत मजदूरों/ठेकेदारों द्वारा वनभूमि के आस पास के वन एवं वन्य प्राणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाने संबंधी वचनबद्धता समर्पित किया गया है, अनु0-J |
| xiv  | अपयोजित होने वाली वनभूमि का उपयोग इस परियोजना से इतर अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                       | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपयोजित होने वाली वनभूमि का उपयोग इस परियोजना से इतर अन्य कार्यों के लिए नहीं करने संबंधी वचनबद्धता पत्र समर्पित किया गया है, अनु0-K                                       |
| xv   | सूर्यास्त से सूर्योदय तक सामान्यतः वनभूमि पर ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा, यह प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।                                                                                                                                                                                      | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए वनचबद्धता समर्पित किया गया है, अनु0-L                                                                                                                |
| xvi  | उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित करेंगे एवं संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत भारत सरकार के दिशा निर्देश की कंडिका 1.9 के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी। | —                                                                                                                                                                                                  |

इस प्रकार विभाग द्वारा प्रदत्त स्टेज-I में लगाई गई शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कर दिया गया है अथवा वचनबद्धता दी गई है। वन विभागीय पत्रांक 4542 दिनांक 08.10.2016 के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से संचिका पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। साथ ही Time Line इस पत्र के साथ संलग्न है।

अनुरोध है कि इस परियोजना हेतु कुल 4.672 हे० वनभूमि अपयोजन हेतु अंतिम स्वीकृति प्रदान करने की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0:-यथोक्त।

अनुपालन दो प्रति में।

विश्वासभाजन

ह०/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक  
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 1156

दिनांक 22.12.16

प्रतिलिपि:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम रीजन, जमशेदपुर/महाप्रबंधक, मेसर्स पावरग्रिड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक  
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

K. S. S.  
22.12.16

कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम रीजन, जमशेदपुर।  
(वन भवन, सी०एच० एरिया, (नॉर्थ-वेस्ट), साई मन्दिर के पास, पो०-सोनारी, जमशेदपुर-831011)  
दूरभाष संख्या- 0657-2222995, फैक्स-0657-2220153, ई-मेल- apccf.jsr@gmail.com



पत्रांक..... / जमशेदपुर -11, दिनांक.....

जारी है दिनांक.....  
वर्ग है अक्षराली II

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
-सह-  
कार्यकारी निदेशक,  
बंजर भूमि विकास बोर्ड,  
झारखण्ड, राँची ।

विषय :- सरायकेला वन प्रमंडल अन्तर्गत सर्वश्री झारखण्ड ऊर्जा निगम लि० द्वारा रामचन्द्रपुर से चाईबासा तक 220 के०वी० डी०सी० ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु अधिसूचित 4.052 हे० एवं जंगल झाड़ी 0.64 हे० कुल 4.672 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- आपका ज्ञापांक 2264 दिनांक 06.10.2016  
महाशय,

उपर्युक्त विषयक सादर सूचित करना है कि विषयक वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव पर झारखण्ड सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राँची के पत्र सं० वनभूमि -20/2016-4267 व०प० दिनांक 21.09.2016 द्वारा कुल 16 शर्तों के साथ दी दी गई प्रथम स्टेज की सैद्धान्तिक स्वीकृति में लगाए गए शर्तों का अनुपालन संबंधित प्रतिवेदन वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर के पत्रांक 2363 दिनांक 06.12.2016 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

वन संरक्षक से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार शर्तों के अनुपालन की स्थिति निम्नवत् है :-

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i   | वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत रहेगी                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत रखने हेतु वचनबद्धता समर्पित किया गया है, अनु०-A                                                                                                   |
| ii  | प्रयोक्ता अभिकरण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल याचिका संख्या-WP (C) 202/1995 में दिनांक 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 को पारित आदेश तथा भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के अनुरूप अपयोजित होने वाली 4.672 हे० वनभूमि के एन०पी०भी० की राशि वसूलनीय होगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०भी० की राशि NEFT Funds Transfer के माध्यम से कैम्पा लेखा संख्या-344902010105420 Union Bank of India, Sunder Nagar, New Delhi में रु० 2924472.00 हस्तान्तरण कर दिया गया है (रसीद संलग्न), अनु०-01 |
| iii | यदि एन०पी०भी० के दर में कोई संशोधन होता है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढी हुई/ अन्तर राशि जमा करना बाध्यकारी होगा।                                                                                                                                                                                                                       | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए वचनबद्धता समर्पित किया गया है, अनु०-B                                                                                                                                            |
| iv  | प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त राशि को कैम्पा खाता में जमा करना होगा।                                                                                                                                                                                                                                                                       | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NEFT Funds Transfer द्वारा कैम्पा लेखा में मांग की गई राशि सीधे हस्तान्तरण कर दिया गया है।                                                                                                             |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | प्रस्तावित अपयोजन में आवश्यकता पड़ने पर ही वृक्षों का पातन किया जायेगा तथा वृक्षों का पातन वन विभाग की देख रेख में किया जायेगा।                                                                                                                                                                                         | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए वचनबद्धता समर्पित किया गया है, अनु0-C                                                                                                                                                         |
| vi   | ट्रांसमिशन लाईन हेतु sag की ऊँचाई 7 मी0 रखनी होगी ताकि वन्यप्राणियों विशेष कर हाथियों को बिजली स्पर्शाघात की घटनाओं से बचाया जा सके।                                                                                                                                                                                    | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए वचनबद्धता समर्पित किया गया है, अनु0-D                                                                                                                                                         |
| vii  | भविष्य में यदि राज्य सरकार / भारत सरकार द्वारा कोई शर्त लगाई जाती है तो उन शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।                                                                                                                                                                                        | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए वचनबद्धता समर्पित किया गया है, अनु0-E                                                                                                                                                         |
| viii | ट्रांसमिशन लाईन के Right of way की चौड़ाई 35 मी0 में सुनिश्चित किया जाय।                                                                                                                                                                                                                                                | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए वचनबद्धता समर्पित किया गया है, अनु0-F                                                                                                                                                         |
| ix   | विद्युतवाही तार एवं वृक्षों के बीच कम से कम 4.6 मी0 का Clearance रखना प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा जिसमें तारों के sag एवं swing का भी ध्यान रखना होगा।                                                                                                                                                      | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए वचनबद्धता समर्पित किया गया है, अनु0-G                                                                                                                                                         |
| x    | ट्रांसमिशन लाईन खिंचने के बाद उपलब्ध भूमि जिसमें वृक्षारोपण किया जा सकता है का आंकलन करने के बाद इस भूमि पर छोटे औषधीय पौधों को लगाने के लिए आवश्यक राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।                                                                                                                         | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा औषधीय पौधों का वृक्षारोपण हेतु राशि 1397227.00 रु0 कैम्पा लेखा संख्या-344902010105420 Union Bank of India, Sunder Nagar, New Delhi में NEFT Funds Transfer द्वारा हस्तानांतरण कर दिया गया है (रसीद संलग्न), अनु0-01 |
| xi   | वनभूमि पर किसी प्रकार का labour camp नहीं स्थापित किया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                          | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनभूमि में किसी प्रकार का Labour Camp नहीं स्थापित करने संबंधी वचनबद्धता समर्पित किया गया है, अनु0-H                                                                                                                |
| xii  | यदि गैर वनभूमि पर labour camp स्थापित किया जाता है तो परियोजना के कार्यरत मजदूरों को ईंधन परियोजना खर्च पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा एवं तदनुसार एवं वितरण पंजी रखी जायेगी जिसकी समय समय पर वन विभाग के पदाधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा जाँच की जायेगी ताकि आस पास के वनों को क्षति से बचाया जा सके। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए वचनबद्धता पत्र समर्पित किया गया है, अनु0-I                                                                                                                                                    |
| xiii | परियोजना में कार्यरत मजदूरों / ठेकेदारों द्वारा परियोजना स्थल के आस पास के वन एवं वन्य प्राणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी एवं यह प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।                                                                                                                           | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना में कार्यरत मजदूरों / ठेकेदारों द्वारा वनभूमि के आस पास के वन एवं वन्य प्राणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाने संबंधी वचनबद्धता समर्पित किया गया है, अनु0-J                                        |
| xiv  | अपयोजित होने वाली वनभूमि का उपयोग इस परियोजना से इतर अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                              | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपयोजित होने वाली वनभूमि का उपयोग इस परियोजना से इतर अन्य कार्यों के लिए नहीं करने संबंधी वचनबद्धता पत्र समर्पित किया गया है, अनु0-K                                                                                |
| xv   | सूर्यास्त से सूर्योदय तक सामान्यतः वनभूमि पर ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा यह प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।                                                                                                                                                                              | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए वचनबद्धता समर्पित किया गया है, अनु0-L                                                                                                                                                         |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| xvi | उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित करेंगे एवं संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार के दिशा निर्देश की कड़िका 1.9 के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी। | - |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

उल्लेखनीय है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला को सम्बोधित अपने पत्रांक ER-1/JCP/JSR/FP/JH/TRANS/16674/R-C/2500 दिनांक 23.11.2016 द्वारा स्टेज - 1 स्वीकृत प्रदत्त वनभूमि में कार्यानुमति देने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में कहना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त संख्या - II के अनुपालन में एन0पी0वी0 की राशि NEFT Funds Transfer के माध्यम से कैम्पा लेखा संख्या-344902010105420 Union Bank of India, Sunder Nagar, New Delhi में रु0 2924472.00 स्थानांतरित कर दिया गया है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक F.No. 11-306/2014-FC दिनांक 7.5.2015 के आलोक में प्रयोक्ता अभिकरण को उक्त स्टेज - 1 प्रदत्त 4.672 हे0 वनभूमि में कार्यानुमति देने हेतु विचारोपरान्त अग्रतर कार्रवाई की जा सकती है।

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर के पत्रांक 2363 दिनांक 06.12.2016 (अनुलग्नक सहित) की छायाप्रति अत्रसह संलग्न भेजते हुए अनुरोध है कि विषयक मामले में उपरोक्त अनुपालन के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

अनु0:- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
सिंहभूम रीजन, जमशेदपुर

ज्ञापांक :-

दिनांक :-

प्रतिलिपि, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
सिंहभूम रीजन, जमशेदपुर

ज्ञापांक :-

दिनांक :-

प्रतिलिपि, वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर / वन प्रमंडल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
सिंहभूम रीजन, जमशेदपुर

ज्ञापांक :- 2739 दिनांक :- 16-12-16

प्रतिलिपि, उप महाप्रबन्धक, मेसर्स पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया, जे0सी0पी0, जमशेदपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
सिंहभूम रीजन, जमशेदपुर  
16.12.16  
76/12

आरखण्ड सरकार  
6/11/16

# कार्यालय : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर ।

दूरभाष संख्या एवं फ़ैक्स - 0657-2223430, ई-मेल - cfjamshedpur@gmail.com



पत्रांक-E-86/2016- 2363

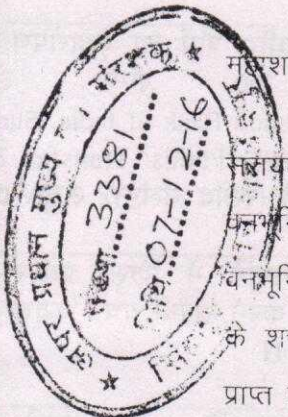
दिनांक : 06-12-16

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
सिंहभूम रीजन, जमशेदपुर।

विशय :- सरायकेला वन प्रमंडल अन्तर्गत सर्वश्री आरखण्ड ऊर्जा निगम लि० द्वारा रामचन्द्रपुर से चाईबासा तक 220 के०वी० डी०सी० ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु अधिसूचित 4.052 हे० एवं जंगल झाड़ी 0.64 हे० कुल 4.672 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- आपका ज्ञापांक 2264 दिनांक 06.10.2016



मुख्य,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला के पत्रांक 3337 दिनांक 28.11.2016 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा विषयक वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव हेतु आरखण्ड सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राँची के पत्र सं० वनभूमि -20/2016-4267 व०प० दिनांक 21.09.2016 द्वारा कुल 16 शर्तों के साथ दी गई सैद्धांतिक सहमति के शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त है। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अनुपालन की स्थिति निम्नवत् है :-

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i   | वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत रहेगी                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत रखने हेतु वचनवद्धता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है, अनु०-A                                                                                       |
| ii  | प्रयोक्ता अभिकरण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल याचिका संख्या-WP (C) 202/1995 में दिनांक 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 को पारित आदेश तथा भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के अनुरूप अपयोजित होने वाली 4.672 हे० वनभूमि के एन०पी०भी० की राशि वसूलनीय होगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०भी० की राशि NEFT Funds Transfer के माध्यम से कैम्पा लेखा संख्या-344902010105420 Union Bank of India, Sunder Nagar, New Delhi में रु० 2924472.00 हस्तान्तरण कर दिया गया है (रसीद संलग्न), अनु०-01 |
| iii | यदि एन०पी०भी० के दर में कोई संशोधन होता है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढी हुई/ अन्तर राशि जमा करना बाध्यकारी होगा।                                                                                                                                                                                                                       | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए वचनवद्धता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है, अनु०-B                                                                                                                                |
| iv  | प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त राशि को कैम्पा खाता जमा करना होगा।                                                                                                                                                                                                                                                                           | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NEFT Funds Transfer द्वारा कैम्पा लेखा में माग की गई राशि सीधे हस्तान्तरण कर दिया गया है।                                                                                                              |
| v   | प्रस्तावित अपयोजन में आवश्यकता पडने पर ही वृक्षों का पातन किया जायेगा तथा वृक्षों का पातन वन विभाग की देख रेख में किया जायेगा।                                                                                                                                                                                                           | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए वचनवद्धता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है, अनु०-C                                                                                                                                |

6/11/16

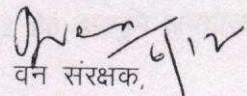
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vi   | ट्रांसमिशन लाइन हेतु sag की ऊँचाई 7 मी० रखनी होगी ताकि वन्यप्राणियों विशेष कर हाथियों को बिजली स्पर्शाघात की घटनाओं से बचाया जा सके।                                                                                                                                                                                    | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति व्यक्त करते वचनवद्धता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है, अनु०-D                                                                                                                                      |
| vii  | भविष्य में यदि राज्य सरकार / भारत सरकार द्वारा कोई शर्त लगाई जाती है तो उन शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।                                                                                                                                                                                        | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति व्यक्त करते वचनवद्धता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है, अनु०-E                                                                                                                                      |
| viii | ट्रांसमिशन लाइन के Right of way की चौड़ाई 35 मी० में सुनिश्चित किया जाय।                                                                                                                                                                                                                                                | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति व्यक्त करते वचनवद्धता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है, अनु०-F                                                                                                                                      |
| ix   | विद्युतवाही तार एवं वृक्षों के बीच कम से कम 4.6 मी० का Clearance रखना प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा जिसमें तारों के sag एवं swing का भी ध्यान रखना होगा।                                                                                                                                                      | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति व्यक्त करते वचनवद्धता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है, अनु०-G                                                                                                                                      |
| x    | ट्रांसमिशन लाइन खिंचने के बाद उपलब्ध भूमि जिसमें वृक्षारोपण किया जा सकता है का आंकलन करने के बाद इस भूमि पर छोटे औषधीय पौधों को लगाने के लिए आवश्यक राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।                                                                                                                         | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा औषधीय पौधों का वृक्षारोपण राशि 1397227.00 रु० कैम्पा ले संख्या-344902010105420 Union Bank of India, Sun Nagar, New Delhi में NEFT Funds Transfer द्वारा हस्तानांतरण कर दिया गया है (रसीद संलग्न), अनु०-O |
| xi   | वनभूमि पर किसी प्रकार का labour camp नहीं स्थापित किया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                          | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनभूमि में किसी प्रकार Labour Camp नहीं स्थापित करने संबंधी वचन वद्धता समर्पित किया गया है, अनु०-H                                                                                                       |
| xii  | यदि गैर वनभूमि पर labour camp स्थापित किया जाता है तो परियोजना के कार्यरत मजदूरों को ईंधन परियोजना खर्च पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा एवं तदनुसार एवं वितरण पंजी रखी जायेगी जिसकी समय समय पर वन विभाग के पदाधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा जाँच की जायेगी ताकि आस पास के वनों को क्षति से बचाया जा सके। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति व्यक्त करते वचनवद्धता पत्र समर्पित किया गया है, अनु०-I                                                                                                                                             |
| xiii | परियोजना में कार्यरत मजदूरों / ठेकेदारों द्वारा परियोजना स्थल के आस पास के वन एवं वन्य प्राणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी एवं यह प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।                                                                                                                           | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना में कार्यरत मजदूरों ठेकेदारों द्वारा वनभूमि के आस पास के वन एवं प्राणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाने संबंधी वचनवद्धता पत्र समर्पित किया गया है, अनु०-J                               |
| xiv  | अपयोजित होने वाली वनभूमि का उपयोग इस परियोजना से इतर अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                              | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपयोजित होने वाली वनभूमि उपयोग इस परियोजना से इतर अन्य कार्यों के लिए करने संबंधी वचनवद्धता पत्र समर्पित किया गया अनु०-K                                                                                 |
| xv   | सूर्यास्त से सूर्योदय तक सामान्यतः वनभूमि पर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा यह प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।                                                                                                                                                                              | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति व्यक्त करते वचनवद्धता पत्र समर्पित किया गया है, अनु०-L                                                                                                                                             |
| xvi  | उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं के स्थिति में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रधान                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                |

मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित करेंगे एवं संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार के दिशा निर्देश की कड़िका 1.9 के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

अतः अनुरोध है कि इस संबंध में आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु० : यथोक्त।

आपका विश्वासी,

  
वन संरक्षक,  
प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर  
6/12/16 6/12/16